International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 246-249

गोंड जनजाति : एक सामान्य परिचय

डॉ0 कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

गोंड जनजाति के अध्ययन में मैंने इनके समाजिक–राजनीतिक जीवन को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास किया है। मैंने पंचायतीराज की मूल अवधारणा का विश्लेषण एवं उनका परीक्षण करने का भी प्रयास किया है जो मुझे इनके साथ बांधने का अवसर दिया था। इस शोध पत्र में जनजाति को परिभाषित करते हुए भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जनजातियों के स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः जनजाति, गोंड जनजाति, समाजिक–राजनीतिक जीवन

प्रस्तावना

विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे एक आकर्षक गुलदस्ता है, हमारा भारत, और भारत की संस्कृति में मध्यप्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। मध्यप्रदेश जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहा है। यहां के जनपदों की आबोहवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोकसमूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रुप से फूटती रहती है। यहां का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनन्द रस घोलकर स्मृति के रुप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग–उत्तुंग, शैल शिखर, विन्ध्य सतपुड़ा, मैकल–कैमूर की उपत्यिकाओं के अंतर से गूंजते अनेक पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चम्बल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती आदि सर–सरिताओं के उद्गम मिलन की मिथकथाओं से फूटती सहस्त्र धारायें यहां के जीवन को आप्लावित ही नहीं बल्कि परितृप्त भी करती हैं।[1]

1,नवम्बर 1956 को गठन हुए मध्यप्रदेश में भोपाल को उसकी राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्वरुप में मध्यप्रदेश 1,नवम्बर सन् 2000 को अस्तित्व में आया, जब छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश राज्य देश के मध्य में स्थित है, इसी कारण मध्य प्रदेश को भारत का ह्रदय स्थल भी कहा जाता है। 1 नवम्बर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात् इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। राज्य का क्षेत्रफल तीन लाख, आठ हजार, दो सौ, बावन (3,08,252) वर्ग कि0 मी0 है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 60,348,000 है।

मध्य प्रदेश विभिन्न जनजाति के लोगों से अच्छादित है। विभिन्न आदिवासी समुदायों के अन्तर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो कि न सिर्फ उनके आनुवांशिकी जीवनशैली और सांस्कृतिक परम्पराओं पर आधारित है बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक संरचना, धार्मिक विश्वास, भाषा और बोली पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह विकास की मुख्य धारा से अलग–थलग रहे हैं जिसकी वजह से विभिन्न भाषायी एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुरक्षित रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1,22,33,474 (2001) है। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.3 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 46 चिन्हित अनुसूचित जनजातियां हैं जिसमें से तीन को प्रदेश में विशेष प्रांरभिक आदिवासी समूह माना जाता है।

मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी समूह गोंड, वैगा, भील, कोरकू, मारिया, हलवा, कोल, भारिया और सहरिया हैं। धार, झाबुआ और मंडला जिलों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं। खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और शहडोल जिलों में 30 से 50 प्रतिशत तक जनजातियां रहती हैं।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडो की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनकाल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी। जिसकी राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था।[2]

गोंड शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति के साथ इनकी जीवन शैली पहनावा और आराधना की पद्धतियों को आधार बनाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में अद्यतन समाजशास्त्रियों द्वारा मंथन एवं विचार किया जाता रहा है। कुछ का दृष्टिकोण तो इनके पहनावे के आधार पर है तो, कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता इनके प्रवास के मिलते क्रमिक विकास के आधार पर है। इतिहास का प्रमुख आधार साहित्य हुआ करता है और भारतीय साहित्य मिथकों से भरा पड़ा है पुराणों में इतिहास का लेखन ही मिथकीय शैली में हुआ है। भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में अनेक मिथक या पुराकथायें प्रचलित हैं। गोंड जनजातियों की भी उत्पत्ति संबंधी मिथकों की एक श्रृंखला है।[3] गोंड स्वयं को गोंड नही अपितु 'कोयतोर' कहते हैं और गोंडों की अनेक उपजातियां है। गोंड शब्द श्ज्ञव्छक्श (कोंड) का हिन्दी रुपान्तर है जिनके लिए ''कोयतोर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'हिसलप' के अनुसार–गोंड या 'गुण्ड' शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से

[1] 23 – http://www.chhindwara.nic.in/village wise pop.pdf. census chhindwara-http://http://www.chhindwara.nic.in/com tec.pdf

[2] मौर्य, डॉ० एस.डी.–सामाजिक भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद (उ०प्र०) 2004 पृष्ठ 520

[3] तिवारी, डॉ० एस.के. मध्य प्रदेया की जनजाति संस्कृति मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म०प्र०)

निकला है जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है।[4] घनश्याम गुप्त (1978) इस उत्पत्ति को तर्कशून्य मानते हैं और लिखते हैं कि अनेक अन्य शब्द जैसे–गंडा (जंगल), गंडिया (पत्थरों के ढेर के रूप में पूजे जाने वाले देवी देवता) या सुअरबलि। ये तीनों ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हैं जो जंगल के लिए प्रयुक्त होते हैं। भारत में असंख्य जन हैं तथा उतनी ही बनवासी जातियां हैं, जो प्रमुख निवासी हैं। ये अपने देवी देवताओं को गड़िया रुप में पूजते हैं और सुअर पालते हैं या उसकी बलि देते हैं अर्थात् गुडाधारी हैं और इसी कारण ये गोंड कहे जाते हैं।

रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वयं की पहचान ''कोय' या ''कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है।[5] ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य भारत से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कहीं भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते हैं।[6] 'रशल और 'हीरालाल' तो दक्षिण से उत्तर की ओर गोंडों के प्रवास का मार्ग बताते हैं। इनके अनुसार ये गोदावरी नदी से चांदा, इन्द्रावती, छत्तीसगढ तथा वेनगंगा से होकर सतपुड़ा क्षेत्र में आये। तेलगू लोगों से इनका संपर्क होने पर उन्होंने इन्हें गौंड़ नाम दिया होगा, जिसे इन्होंने अपने साथ लाये।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगावाद, सिवनी तथा नरसिंहपुर और मण्डला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। प्राचीन भूगोल शास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व के दो भू–भाग 'गोंडवाना लैण्ड' और 'अंगारा लैण्ड' के नाम से जाना जाता है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने–अपने राज्य विकसित किये जिनमें से नर्मदा नदी वेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। 'गोंडी' भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी–विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभूशेक के डमरू से हुई है जिसे 'गोएन्दाधिवासी'या गोंदवासी' कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय–समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है।[7]

शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल, चमड़ी और आँख की पुतली गाढ़े रंग की होती है, सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते है। मस्तक भी संकरा होता है, चेहरा सामान्य रूप से चौड़ा दिखता है और ठोढ़ी संकरी तथा नुकीली होती है। चेहरे में होंठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है। आँखों में ऊपरी पलक छुपी सी रहती है तथा इनकी ऊँचाई मध्यम से निम्न तक होती है। इनके पैर लम्बे, धड़ अपेक्षाकृत छोटे तथा गोंड लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते हैं। प्रायः गोंड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं किन्तु इनके अंग भद्दे दिखाई पड़ते हैं। इनके सिर के बाल काले और सीधे होते हैं किन्तु मुँह में दाढ़ी–मूँछ पर बाल कम होते हैं। इस प्रकार इनके मुख की आकृति मंगोलों से किन्तु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों से मेल खाती है। गोंड जनजातियों के कपाल देशना 74.04 से लेकर 77.80 तक पाई गई है तथा नासिका देशना 77.91 से लेकर 82.52 तक। कपाल और नासिका देशना दोनों ही हिन्दू धर्म के सदस्यों से अधिक है।

सर सी0एस0 वेंकटाचार्य ने इन्हें प्राक्कद्रविड़ माना है। कैप्टन कोसीथ, के अनुसार गोंड जनजाति के रक्त में हिन्दू मिश्रण निश्चित् रूप से हुआ है। प्रायः गोंड जनजाति को तीन प्रकार से जाना जाता है। जिसमें पहला राजगोंड (खटोलिया), दूसरा रावणवंशी गोंड और तीसरा भोई वंशी गोंड होते हैं। राजगोंड को खटोलिया वंशी गोंड भी कहते हैं जिसमें यह प्रथा है कि ये लोग खाट पर नही बैठते हैं और खाना बनाकर कहीं दूर या घर के बाहर नही ले जाते हैं अर्थात् बाहर से आया हुआ (रास्ते चलकर) खाना ये लोग नहीं ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार रावण वंशी गोंड अपने को राजघराने से संबंधित मानते हैं और रावण तथा मेघनाद की पूजा करते हैं। रावण वंशी गोंड 'गोंड' समाज के राजाओं से संबंधित लोग होते हैं। इसी प्रकार मंडला के गोंड राजा अपने सिक्कों में 'रावणवंशी संग्रामशाह' अंकित करते थे। इसी प्रकार गोंड जनजाति में जो मुखिया होते थे उनके परिवार के लोग अपने को 'भोई' अर्थात् मुखिया वंश का मानते थे।

गोंड जनजाति में जन्म में समय संस्कार अन्य समाज की तरह ही है। बच्चे के जन्म के छठें दिन छठी का कार्यक्रम होता है जिसमें उसी दिन बच्चे का नाड़ा काटते हैं और किसी जगह जमीन में उसको गाड़ देते हैं तदुपरान्त बच्चे की मॉ को अन्न आदि ग्रहण करने की इजाजत दी जाती है। बच्चे की छठी कार्यक्रम के बाद उसको तिलक आदि लगाया जाता है और उसी दिन बच्चे का नामकरण भी किया जाता है इसके बाद कर्णछेदन संस्कार एक साल बाद करते हैं।

गोंड जनजाति में 12 देव होते हैं, जिसमें सात 'देव' और पांच 'भूमका' होते हैं। गोंड समाज में विवाह की जोड़ी विषम देव के रूप में बनाई जाती है क्योंकि इनमें समदेव में लड़की और लड़के को आपस में भाई–बहन मानते हैं अर्थात् जो गोंड एक देव की पूजा करते हैं, वे शादी दो देव या चार देव या छः देव के यहॉ करते हैं। इसी प्रकार एक देव को पूजने वाले तीन देव, पॉच देव और सात देव के यहॉ विवाह नहीं करते हैं। गोंड जनजाति में पहले लड़की को लड़के के यहॉ शादी के समय ले जाते थे लेकिन वर्तमान में लड़के को लड़की के यहॉ दूल्हा बनाकर ले जाते हैं। पुरानी परम्परा के अनुसार लड़का, लड़की के श्रृंगार (जेवर आदि) पहनकर लड़की के घर पहुँचता है तत्पश्चात् हिन्दू परम्परा के अनुसार विवाह कार्यक्रम होते हैं। इसी प्रकार विवाह के समय भांवर की प्रथा हिन्दू समाज से भिन्न अर्थात् हिन्दू प्रथा में भांवर घड़ी की दिशा में होती है जबकि इनमें इसके विपरीत अर्थात् जिस दिशा में ग्रहों का चलना होता है अर्थात् प्रकृति के अनुसार भांवर घूमते हैं। इसी प्रकार शादी के समय 'कलश' दोनों तरफ से पीतल आदि के बर्तन में दीपक के रूप में आती है जिसमें कलश पूजा दोनों तरफ से होता है जिसे गोंडी समाज में 'कलश भांवर' कहते हैं। इसके बाद दूल्हा मंडप में जाता है और लड़का–लड़की की तरफ से आने वाले कलश में कुछ पैसे डालता है और लड़की चावल के दाने से लड़के को छुपकर मारती है और वापस चली जाती है। इसी बीच अन्य रिश्तेदार लड़के को तिलक लगाते हैं और लड़की की तरफ से कुछ रूपये आदि उपहार स्वरूप दान करते हैं। इसी क्रम में लड़की का भाई मंडप के ऊपर से छुपकर लड़के के ऊपर पानी डालता है तत्पश्चात् लड़का विजने (बॉस का बनाया गया) को मंडप पर फेंककर मंडप में से दो पत्तियों को तोड़कर वापस जनवासे में चला जाता है। इसके बाद लड़की की तरफ से महिलायें लकड़ी के बर्तन (लहकोट) में बारातियों के लिए

[4] मौर्य, डॉ०एस.डी. सामाजिक भूगोल शारदा पुस्तक भवन, 11 यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 2004 पृष्ठ 521

[5] ट्राइवल्स ऑफ कास्टस ऑफ सैन्ट्रल प्राविन्सेस ऑफ इंडिया (वोल्यूम 4) कास्मस पब्लिकेशन नई दिल्ली

[6] तिवारी, डॉ० एस.के.–मध्य प्रदेया की जनजाति संस्कृति मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म०प्र०)

[7] http://hi:wikipedia.org/wiki

खाना आदि ले जाती हैं तत्पश्चात् लगुन की रस्म होती है। लगुन में हल्दी की एक गॉठ, एक सिक्का और थोड़ा सा चावल गुड़ के साथ पैक करके लड़की पक्ष को लडके की तरफ से दिया जाता है। इसी लगुन को भांवर के समय लड़के और लड़की को गॉठ बांधते है और भांवर की रस्म को पूरा करते हैं और आगे की रस्म हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार पूरी होती है और लड़की की विदाई हो जाती है। विदा होने के पश्चात् जब लड़की लड़के के यहॉ जाती है तो इसी लगुन से निकाली गयी हल्दी की गांठ को पीसकर चावल आदि की खिचड़ी बनाती है और करीबी रिश्तेदारों, परिवार वालों को खिचड़ी बनाकर लड़की परोसती है। जिसका आशय दुल्हन परिचय से होता है और इसके बदले में दुल्हन को सामान, पैसा रूपया आदि परिवार वाले, रिश्तेदार उपहार के रूप में भेंट करते हैं।

गोंड जनजाति में मृतकों को दफनाने की प्रथा है जिसमें इनके दफनाने का एक निश्चित स्थान होता है। वर्तमान में इनमें मृतको को जलाने का प्रचलन भी शुरू हो गया है। मृत्यु के तीसरे दिन सीता संस्कार करते हैं जिसमें कुटकी के दाने को हल्दी के साथ कूटकर घर से बाहर तीन पत्थर रखकर पकाते हैं और अपने–अपने निर्धारित देवों के अनुसार भोग लगाते हैं। इसके कुछ दिन पश्चात् बड़ा काम करते हैं जिसे गोंडी समाज में चौतरा या देव–देवाई या हिन्दू प्रथा के अनुसार गंगा पूजन कहते हैं। इसमें परिवार के किसी भी व्यक्ति में मृतक व्यक्ति की आत्मा आती है और नदी के किनारे जाकर एक छोटा सा पत्थर लेकर जहॉ चौतरा बॉधा जाता है वहॉ उस खानदान के जितने व्यक्तियों को दफनाया जाता है उतनी गॉठ को चबूतरों पर रखकर पूजा पाठ करते हैं जिसमें सभी परिवार के लोग, रिश्तेदार आदि जितने व्यक्ति वहॉ मौजूद होते हैं पूजा पाठ करते हैं।

गोंड जनजाति में वर्ष में दो बार पूजा करने का प्रचलन है जिसमें पहली बार जब धान की फसल आती है और दूसरी पूजा जब महुआ का फल तैयार होता है जिसमें इन दोनों फलों को अपने अपने निर्धारित देवों को चढ़ाकर पूजा करते हैं। गोंड जनजाति में मुख्य पूजा 'बड़ा देव की होती है। पंचमढ़ी के बड़ा महादेव नामक स्थान में प्राकृतिक शिवलिंग है कुछ लोग बड़ा महादेव को ही बड़ा देव मानते हैं। गोंड़ो में लोक कथा है कि पार्वती जी ने मूलागोंडनी का रूप लेकर शंकरजी को प्रसन्न किया था। मूलागोंड़नी की मूर्ति को पार्वती की मूर्ति मानकर पूजा की जाती है। इनकी मान्यता है कि बड़ादेव की कृपा से मृतक की आत्मा देवत्व में मिल सकती है। इसी प्रकार 'बड़ा देव का निवास स्थान 'साज' के वृक्ष में माना जाता है। ये लोग बड़ा देव की पूजा उस समय करते हैं जब धान की नई फसल तैयार होती है। बड़ा देव की पूजा में ये लोग गॉव के साज के वृक्ष से कुछ टहनियों को अपने–अपने घर लाते हैं और किसी स्थान पर गोबर से पुताई करके नारियल फोड़कर पूजा करते हैं। इसी प्रकार चंडी देवी की पूजा दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक करते हैं जिसमें देवी के लिए 'मड़ई' बनाते हैं और उसमें देवी जी को बैठाकर मोर के पंखे को ढाल बनाकर घुमाते हैं और अपने–अपने मंत्र को जगाते हैं और चंडी माता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार इनमें मेघनाद की पूजा की जाती है जिसमें होली के समय मेघनाद की मूर्ति बनाकर सिर को शरीर से अलग करके पूरे शरीर में हल्दी लगाकर अपनी कमर में गमछा बांधकर 'अकड़ो वीरो–अकड़ो वीरो' कहकर अपने देवत्व को जगाते हैं और मन्नत मांगते हैं।

गोंड जनजातियों में अधिकतर स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है ये सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी परम्पराओं और संस्कृति को बनाये रखते हैं। ये अपने थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं और अन्य जातियों से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इनका निवास इन्हीं की परम्पराओं के अनुसार होता है। गोंड लोग मांसाहारी होते हैं मद्यपान इनमें व्याप्त गरीबी के प्रमुख कारण के रूप में ही है। हाल तक ये लोग 'झूम' कृषि करते थे तथा इन्हें सिंचाई का ज्ञान नहीं था। वर्तमान में ये लोग हल से खेती करने लगे हैं तथा सिंचाई आधुनिक तरीके से करने लगे हैं। गॉव के मुखिया को 'पटेल' अथवा 'मुकादम' तथा गॉव के चौकीदार को 'कोटवार' नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 'गोंड' गॉव में एक पुजारी, पुरोहित भी होता हैं जिसे 'देवार' कहा जाता है।

इस प्रकार शोध प्रबन्ध के संन्दर्भ में गोंड जनजातियों की मानसिकता को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और समझने का अवसर मिला इनकी संतोष और जीने–खाने की मानसिकता इन्हें विकास की मुख्यधारा से अलग किये हुए है। यथा लाभ में संतोष की प्रवृत्ति का मिश्रण इनकी जीवन शैली का प्रमुख आधार है। यह भी निष्कर्ष सामने आया है कि जीवनयापन के श्रोत के प्रति इनकी सजगता नगण्य है। कठोर परिश्रम इनकी परंपरा की बेड़ी में बंधा हुआ है। इस परिश्रम के बदले ये अपने लिए बेहतर जीवनशैली के बारे में सोचते भी नहीं हैं। परंपरा और रूढ़ियां इनके जीवन को पृथक नहीं होने दे रही है।

सुझाव

- पंचायत स्तर पर हार एवं वाजारों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
- पंचायती राज द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके।
- पंचायतीय राज को ऋण की सुविधा आसानी से दिलाये जाने पर प्रयत्न करना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर एक कोष की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि समय–समय पर इनके आर्थिक विकास हेतु अनुदान एवं सहायता दे सके
- इनको आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राथमिक रूप से जागरूक करना चाहिए

सन्दर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002): लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बसु, दर्गा दास (2013): भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003): जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010): मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994): वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर।
8. पालीवाल, एस एल (2000): जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5
9. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
10. रामप्यारे, (1991): हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

11. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
12. सिंह, बी पी (2004): म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
13. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आशीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
14. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
15. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति।
16. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
17. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
18. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची।
19. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।